रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 729] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 1993/अग्रहायण 15, 1915
No. 729] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 1993/AGRAHAYANA 15, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1993

आयकर

का.आ. 934(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केनारा बैंक द्वारा स्थापित किये गये कामनवैल्थ इक्विटी फण्ड म्युचुअल फण्ड को, जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की

प्रथम अनुसूची के कालम 2 के अन्तर्गत एक तदनुरूपी नया बैंक है, उक्त उपबन्ध के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के म्यूचुअल फण्ड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा.सं. 149/75/93-टी.पी.एल./सं. 9429]

वाई. के. बतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1993

INCOME-TAX

S.O. 934(E).—In exercise of the powers conferred by clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies Commonwealth Equity Fund Mutual Fund set up by the Canara Bank, being a corresponding new bank under column 2 of the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), as a Mutual Fund of Public sector banks for the purpose of the said provision.

[F. No. 149|75|93-TPL|No. 9429]

Y. K. BATRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publication, Delhi-110054, 1993.